

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 671 / 14-1, बरेली, दिनांक, 10 अगस्त, 2017।

सेवा में,

डिवीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स,  
भारत संचार निगम लि०,  
डी-13/15 देवबिहार कालोनी, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद बरेली में रामपुर-बरेली मार्ग एनएच-24, किमी० 214-250 तक एवं दूरभाष केन्द्र चौपला बरेली तक की वायी पटरी में ओ०एफ०सी० लाईन बिछाये जाने के संबन्ध में।  
संदर्भ:- आपका पत्रांक डीईटीपी/एमआरडी/टी-751/34, दिनांक 01.08.2017।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करे। आपको पूर्व में भी कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि सर्व प्रथम क्षेत्रीय वनाधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया जाना है। इस संबन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 4184/14-1, दिनांक 16.06.2017 के द्वारा भी आपसे अपेक्षा की गयी है। विषयक प्रस्ताव के प्रति अभी तक क्षेत्रीय वनाधिकारी, मीरगंज की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है। अतः आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि रूटमैप के अनुसार संयुक्त निरीक्षण कराकर एवं निम्न कमियों का निराकरण कर प्रस्ताव तैयार कर 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

01. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग दो में क्रमांक 10, 11 व 12 की सूचना सुसंगत नहीं है।
02. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की टोपो शीट फुल साईज में उपलब्ध कराये।
03. क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाने वाला स्थल क्षेत्रीय वनाधिकारी के प्रस्तावानुसार चयनित किया जाना है इसके उपरान्त जियो रेफर्ड मैप तैयार किये जाने है।
04. प्रस्ताव के साथ केएमएल फाईल संलग्न नहीं है।

भारत सरकार के स्तर से प्राप्त संलग्न सूची के अनुसार प्रस्ताव की कमियों निस्तारित कर पूर्ण प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। पूर्व प्राप्त प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ मूल में प्राप्त करने हेतु नामित अधिकारी/ कर्मचारी को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे कार्यालय से प्रतियाँ प्राप्त करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- यथोपरि।

(भारत लाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 671 / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, अँवला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वनाधिकारी, मीरगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बीएसएनएल द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संरक्षित/गैर संरक्षित वन भूमि की गणना, बाधक वृक्षारोपण/वृक्षों की सूची तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने का स्थल चयनित कर उसकी विस्तृत सूचना जीपीएस क्वार्डीनेस सहित तथा 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

Original Proposal  
37-7488  
11-08-17

(भारत लाल)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।